

कार्यालय वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद ।

पत्रांक-
सेवा में,

677 /22-2, मुरादाबाद, सितम्बर- 14

2016

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

विषय :- जनपद अमरोहा में बदायूं-बिजनौर मार्ग (एन0एच0-51) कि0मी0 113.100 की दांयी पटरी पर ग्राम निजामपुर शर्की खसरा संख्या-79 तहसील हसनपुर में एक रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0759 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं 08 बाधक वृक्षों को विदोहन हेतु अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- आपका पत्र संख्या 340/अमरोहा/19948/यूपी-136, दिनांक 17.08.2016
महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त प्रस्ताव में आपके द्वारा आपत्तियां इंगित की गयी थी। इसी क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी अमरोहा वन प्रभाग, अमरोहा ने अपने पत्रांक-555/14-1, दिनांक 07.09.2016 के द्वारा आपत्तियों का निस्तारण कर दिया है, तथा पुनः संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय में शासन को भेजने हेतु उपलब्ध कराया है।

अतः प्रभागीय प्रभागीय वनाधिकारी अमरोहा वन प्रभाग, अमरोहा की आख्या से सहमति व्यक्त करते हुए पुनः संशोधित प्रस्ताव संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक- 3 प्रतियां।

भवदीय,

(आर0 पी0 वर्मा)

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद ।

पत्रांक- / 22-2, उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि :- प्रभागीय वनाधिकारी अमरोहा वन प्रभाग अमरोहा को उनके उक्त पत्र के क्रम में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि विषयक प्रस्ताव की प्रतियां इस कार्यालय से प्राप्त कर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

संलग्नक- यथोपरि।

(आर0 पी0 वर्मा)

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद